संख्या-82/2025/340के-2/22-3-2024-17(331)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ पप्पू यादव पुत्र श्री केदार यादव, निवासी जनपद-इटावा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-26788/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.08.2023) दिनांक-24.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ पप्पू यादव पुत्र श्री केदार यादव, जो मिलकिया, मजरा खेड़ा हेलु, थाना-चौबिया, जनपद-इटावा का निवासी है। रू0-40000/- हड़पने के नियत से बन्दी ने दिनांक 04-11-2001 को अपने 07 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चन्द्रप्रकाश नामक व्यक्ति की अंगौछे से गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-454/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 201 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, इटावा के आदेश दिनांक 15.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2023 तक 21 वर्ष, 02 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 53 वर्ष है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के अपराधिक इतिहास को देखते हुए भविष्य में अपराध करने के अवसर से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक उर्फ पप्पू यादव पुत्र केदार यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ पप्पू यादव (बन्दी संख्या-21930) पुत्र श्री केदार यादव, निवासी- जनपद-इटावा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-82/2025/340के-2(1)/22-3-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-82/2025/340के-2/22-3-2024-17(331)/2021

दिनांक 25 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक उर्फ पप्पू यादव पुत्र श्री केदार यादव, जो मिलकिया, मजरा खेड़ा हेलु, थाना-चौबिया, जनपद-इटावा का निवासी है। रू0-40000/- हड़पने के नियत से बन्दी ने दिनांक 04-11-2001 को अपने 07 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चन्द्रप्रकाश नामक व्यक्ति की अंगौछे से गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-454/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 201 में मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, इटावा के आदेश दिनांक 15.02.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.06.2023 तक 21 वर्ष, 02 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 05 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 53 वर्ष है। जिला मजिस्ट्रेट, इटावा की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.01.2023 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के अपराधिक इतिहास को देखते हुए भविष्य में अपराध करने के अवसर से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोक उर्फ पप्पू यादव पुत्र केदार यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in